


पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। प्रार्थना पत्र के अनुतोष एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर व पटवारी तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 408/147 के कोई कटानी रास्ता नहीं लगता है खसरा संख्या 409/147 के उत्तरी सीव सीव 20 फुट चौड़ा रास्ता आपसी सहमती से कायम कर रखा है जो वर्तमान में चालू है अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

- : आदेश : -

खातेदार प्रार्थनी जंवरी देवी पत्नि स्व० रेवन्तराम मेघवाल निवासी ग्राम ढिगारीया तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त के कब्जा, काश्त, खातदारी, कृषि भूमि ग्राम ढिगारीया में खेत खसरा नं० 408/147 तादादी 7-08 बीघा में काश्त करती आ रही जिसके उपरोक्त कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने जान हेतू पड़ौसी बालूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढिगारीया तहसील बीदासर जिला चूरु के खेत खसरा संख्या 409/147 रकबा 23-00बीघा में उत्तरी सीव सीव 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थनी के खेत खसरा संख्या 408/147 के उत्तरी पूर्वी सीव के कोने से लगाकर आगे कटानी रास्ता तक कायम किया जाता है। जिसका अलग बट्टा नम्बर जारी करें व गैर मुमकिन रास्ते का रिकार्ड अंकित करें। तहसीलदार बीदासर भू- अभिलेख निरीक्षण की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार बीदासर को निर्णय की पालना हेतू अलग से लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11-7-19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर